



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1019]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 21, 2017/अग्रहायण 30, 1939

No. 1019]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 21, 2017/AGRAHAYANA 30, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2017

सं. 56/2017-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 1538(अ).—जबकि कि पदनामित प्राधिकारी ने, कोरिया आरपी, चीनी ताइपे और इसराइल, में मूलतः उदगमित अथवा वहां से निर्यात की गई तथा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आने वाले "फथेलिक एनहाइड्राइड" पर, दिनांक 24, दिसंबर 2012 की सा.का.नि. सं. 924(अ) के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i), में प्रकाशित वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 24 दिसंबर, 2012 की अधिसूचना सं. 58/2012-सीमा शुल्क (एडीडी) के अंतर्गत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (5) की शर्तों के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण तथा संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियमावली, 1995 के नियम 23 के अनुक्रम में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड 1, में दिनांक 11 दिसंबर, 2017 को प्रकाशित दिनांक 11 दिसंबर, 2017 के अधिसूचना सं. 7/19/2017-डीजीएडी के अंतर्गत समीक्षा प्रारंभ की थी तथा उपरोक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (5) के शर्तों के अनुसार एक और वर्ष के लिए प्रतिपाटन शुल्क को बढ़ाए जाने का अनुरोध किया है।

अब उपयुक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उपयुक्त नियमों के नियम 23 के अनुक्रम में केन्द्र सरकार एतद्वारा, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i), में सा.का.नि. सं. 924 (अ) के अंतर्गत दिनांक 24 दिसंबर, 2012 को प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 24 दिसंबर, 2012 की अधिसूचना संख्या 58/2012-सीमा शुल्क (एडीडी) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्—

उपर्युक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात और स्पष्टीकरण से पहले निम्नलिखित अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“3. पैराग्राफ 2 में विहित किसी भी बात के बावजूद, यह अधिसूचना 23 दिसंबर, 2018 जिसमें यह तारीख भी शामिल है तक प्रभावी रहेगी, यदि इसे पहले रद्द नहीं कर दिया जाए।”

[फा. सं. 354/206/2012-टीआरयू (भाग-II)]

रूचि बिष्ट, अवर सचिव

टिप्पणी : मूल अधिसूचना सं. 58/2012-सीमा शुल्क (एडीडी), 24 दिसंबर, 2012, सा.का.नि. 924(अ), दिनांक 24 दिसम्बर, 2012 में भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i), में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st December, 2017

No. 56/2017-Customs (ADD)

G.S.R. 1538(E).—Whereas, the designated authority *vide* notification No. 7/19/2017-DGAD, dated the 11th December, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 11th December, 2017, had initiated review in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the said Customs Tariff Act) and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of ‘Phthalic Anhydride’ originating in or exported from Korea RP, Chinese Taipei and Israel, imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 58/2012-Customs (ADD) dated the 24th December, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 924(E), dated the, 24th December, 2012, and had recommended for extension of anti-dumping duty, in terms of sub-section (5) of section 9A of the said Customs Tariff Act.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the said Customs Tariff Act and in pursuance of rule 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 58/2012-Customs (ADD) dated the 24th December, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 924(E), dated the 24th December, 2012, namely:—

In the said notification, after paragraph 2 and before the explanation, the following paragraph shall be inserted, namely:—

“3. Notwithstanding anything contained in paragraph 2, this notification, unless revoked earlier, shall remain in force up to and inclusive of the 23rd December, 2018.”

[F. No. 354/206/2012-TRU (Pt. II)]

RUCHI BISHT, Under Secy.

Note : The principal notification No. 58/2012 Customs (ADD), dated the 24th December, 2012, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 924(E), dated the 24th December, 2012.